# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 20.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने जान से मारने की नियत से फायर करने वाले आरोपी अभियुक्त को अवैध तमंचा करातूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता का विवरण-

अमित सिंह पटेल पुत्र कल्याण सिंह

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-

रामसैया मन्दिर के पास, दिनाँक 20.04.025,07.05 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.04.025 को वादी हर्ष द्विवेदी पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी निवासी कसहाई कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि वह अपने अपने बाबा के साथ दरवाजे पर बैठा था कि उसी समय विपिन पाण्डेय पुत्र शिवाकान्त पाण्डेय निवासी खोह कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट,अमित सिंह पटेल पुत्र कल्याण सिंह,साही पटेल पुत्र नामालूम निवासीगण कसहाई रोड़ कर्वी उसके दरवाजे पर आये और उसे गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से उसकी तरफ फायर किया जिसके बचाव में हर्ष उपरोक्त जमीन पर लेट गया और मौका पाते वहाँ से भाग निकला। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 234/25 धारा 109,351(2),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव को सुपुर्द की गयी। आज दिनाँक 20.04.025 को चौकी प्रभारी व उनकी टीम मुखबिर खास की सूचना पर रामसैया मन्दिर के पास से अभियुक्त अमित सिंह पटेल उपरोक्त को 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। शेष वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव
2. चौकी प्रभारी खोह उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
3. आरक्षी शुभम शर्मा
4. आरक्षी अदनान
5. आरक्षी संजय पाल

**(4).**पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खाँ व आरक्षी शुभम मिश्रा द्वारा अभियुक्त अभियुक्त अभिषेक सोनकर पुत्र बब्बू सोनकर निवासी हनुमानगंज थाना राजापुर को 24 अदद क्वार्टर देशी शराब के सात एवं उ0नि0 श्री अनिल कुमार व आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा द्वारा अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र बब्बू सोनकर निवासी केवटरा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 24 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजापुर व थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह व उनकी टीम द्वारा एनसीआर नं0 116/018 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त नीरज पुत्र कुन्ना निवासी ग्राम हनवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार द्विवेदी व उनकी टीम द्वारा मु0सं0 232/16 धारा 13जी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त चन्दन गुप्ता पुत्र मुनेश्वर प्रसाद निवासी वाल्मीकि नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री इमरान खाँ व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 2882/21 धारा 38 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अभय कुमार मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र मिश्रा निवासी लूपलाइन चौराहा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने भेड़ चोरी के 06 आरोपी अभियुक्तों को चोरी की 11 अदद भेड़ जिन्दा एवं 01अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद बण्डल में चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का नाम व पता विवरण-

01.ऋषि कुमार वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा नि0 बांदा रोड पेट्रोल पंप के सामने कस्बा थाना बबेरू जनपद बांदा

02. विमल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार नि0 मुहल्ला नेतानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा

03. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ शुभम सविता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार निवासी मोहल्ला नेतानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा

04. राहुल कुमार वर्मा पुत्र प्यारेलाल निवासी नवीन मण्डी कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा

05. पंकज कुमार सविता पुत्र राममिलन सविता नि0 अतर्रा रोड बिजली घर के पास थाना बबेरू जनपद बांदा

06. सचिन रैदास पुत्र रामविलास नि0 नहर पट्टी नवीन मंडी कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा

बरामदगी-

1. चोरी की 11 अदद भेड़ जिन्दा
2. 01अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 02 अदद बण्डल में चाकू

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-

डोमनखेड़ा बाग के पास वहद ग्राम डोमनखेड़ा थाना पहाड़ी,18.04.025,22.30 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.04.025 को वादी चुनकाई पुत्र स्व0 रामअधारी निवासी ग्राम बरेठी रोड कस्वा व थाना पहाडी जनपद चित्रकूट ने थाना पहाड़ी पर सूचना दी की उसके जाली से बने बाड़े से उसकी भेड़ो को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 18.04.025 को रात्रि में मुखबिर खास की सूचना दी गयी कि डोमनखेड़ा बाग के पास एक वाहन संख्या UP90 AT 3762 पिकअप डाला में 11 अदद भेड़ जिन्दा लदी हुई है जिन्हे वाहन संख्या UP14 DA 1177 XUV 500 सवार व्यक्ति ले जाने की फिराक में है जल्दी किया जाए तो पकड़ा सकता है सूचना पर विश्वास कर अपराध निरीक्षक व उनकी टीम द्वारा डोमनखेड़ा बाग के पास वहद ग्राम डोमनखेड़ा थाना पहाड़ी से घेर घार कर अभियुक्त 01. ऋषि कुमार वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा नि0 बांदा रोड पेट्रोल पंप के सामने कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा, 02. विमल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार नि0 मुहल्ला नेतानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा, 03. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ शुभम सविता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार निवासी मोहल्ला नेतानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा, 04. राहुल कुमार वर्मा पुत्र प्यारेलाल निवासी नवीन मण्डी कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा, 05. पंकज कुमार सविता पुत्र राममिलन सविता नि0 अतर्रा रोड बिजली घर के पास थाना बबेरू जनपद बांदा, 06. सचिन रैदास पुत्र रामविलास नि0 नहर पट्टी नवीन मंडी कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामातलाशी ली गयी तो 01.अभियुक्त ऋषि कुमार वर्मा के पास से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर 02. विमल कुमार के पास से 01 अदद चाकू 03. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ शुभम सविता के पास 01 अदद चाकू 04. राहुल कुमार वर्मा 05. पंकज कुमार सविता एवं सभी अभियुक्तों से एक पिकअप डाला में लदी 11 अदद भेड़ जिन्दा बरामद की गयी। अभियुक्त ऋषि कुमार उपरोक्त से अवैध तमंचा कारतूस की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 69/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों गाडियों को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। 11 अदद भेडे जिन्दा को आगन्तुकगण को दिखाकर पहचान कराकर वादी मुकदमा चुनकाई उपरोक्त को मौजूदगी में सुपुर्दगी में देकर थाना स्थानीय से रुकसत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह

2.निरीक्षक प्रभुनाथ यादव मय

3.उ0नि0 यू0टी0 अभिनव प्रताप सिंह

4. उ0नि0 जंगबहादुर सिंह

5. का0 शरद कुमार सिंह

6. का0 आनन्द प्रताप सिंह

7. का0 विनोद कुमार

8. हे0का0 कृष्ण पाल सिंह

9. का0 गुड्डू यादव

10. का0 सचिन कुमार

11. का0 कमलेश कुमार

**(6).** आज दिनाँक 20.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल द्वारा थाना कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने,मालखाना में रखे शस्त्रो को समय समय पर साफ सफाई कराने,महिला हेल्प डेस्क में आये हुए प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,थाना कार्यालयों में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक एवं हवालात को प्रतिदिन साफ सफाई कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।